

संख्या-418 / पचासी-2010-18(परती) / 09

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० भूमि सुधार निगम,
टी०सी०/१९ वी विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2010

विषय-उ०प्र० भूमि सुधार निगम के नियमित व पूर्णकालिक कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व शासनादेश संख्या: 321/ पचासी-2010-18(परती)/09 दिनांक 08 अप्रैल, 2010 को एतद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० भूमि सुधार निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मियों को चिकित्सा व्यय-प्रतिपूर्ति की सुविधा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-361 पी.आर.सी./चौवन-1-96, दिनांक 31 मई, 1996 के अनुसार अनुमन्य होगी। इस हेतु उ०प्र० भूमि सुधार निगम पर जो भी व्यय भार आयेगा उसकी प्रतिपूर्ति निगम अपने स्रोतों से करेगा।

2. उ०प्र० भूमि सुधार निगम में संविदा/अनुबन्ध पर तैनात कार्मिक इससे अच्छादित नहीं होंगे।

भवदीय

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-⁴¹⁸(1)/पचासी-2010-18(परती)/09 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(प्रथम)/लेखा परीक्षा, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश)
अनु सचिव।

१